

52

कार्यालय महानिदेशक पुलिस, राजस्थान, जयपुर
(प्रशिक्षण निदेशालय)

क्रमांक:प-11(01)प्रशि./पॉलिसी/2017/5695

दिनांक: 03 जुलाई, 2017

स्थायी आदेश संख्या : 9 / 2017

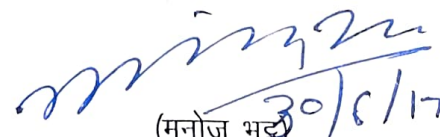
रिक्रूट कानिस्टेबल चालक, प्रारम्भिक प्रशिक्षण

1. रिक्रूट कानिस्टेबल ड्राइवर के बेसिक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम का पुनरीक्षण कर नवीन पाठ्यक्रम के तहत नव नियुक्त रिक्रूट कानिस्टेबल ड्राइवर को पहले 24 सप्ताह का आधारभूत प्रशिक्षण (पार्ट-अ) जिसमें इण्डोर एवं आउटडोर का प्रशिक्षण दिया जावेगा। इसके बाद 21 सप्ताह के व्यावसायिक (एमटी से सम्बन्धित) प्रशिक्षण (पार्ट-ब) दिया जावेगा।
2. यह पाठ्यक्रम नव आरक्षकों (ड्राइवर) के प्रारम्भिक प्रशिक्षण के पाठ्यक्रम हेतु पूर्व में जारी समस्त स्थायी आदेशों के अतिक्रमण में जारी किया जाता है। यह पाठ्यक्रम तत्काल प्रभाव से लागू होगा।
3. रिक्रूटस चालक की मध्यावधि परीक्षाये संस्था प्रमुख द्वारा गठित बोर्ड द्वारा ली जायेगी। मध्यावधि परीक्षा के प्रत्येक प्रश्न पत्र 03 घण्टे का होगा। अन्तिम परीक्षा प्रशिक्षण की समाप्ति के उपरान्त प्रशिक्षण निदेशालय पुलिस मुख्यालय राजस्थान जयपुर से गठित बोर्ड द्वारा आयोजित की जाएगी। बोर्ड इस प्रकार होगा :-

1. महानिरीक्षक पुलिस	अध्यक्ष
2. पुलिस अधीक्षक	सदस्य
3. कमाण्डेन्ट	सदस्य सचिव

व्यावसायिक पाठ्यक्रम की परीक्षा बोर्ड में उपरोक्त के अतिरिक्त ऑटोमोबाईल इंजीनियर भी सदस्य होंगे।
4. अन्तिम परीक्षा में इण्डोर, आउटडोर एवं एमटी संवर्ग के प्रत्येक प्रश्न पत्र हेतु पृथक-पृथक 45 प्रतिशत उत्तीर्णांक होंगे तथा सम्पूर्ण परीक्षा उत्तीर्णांक 50 प्रतिशत होगा।
5. परिणाम घोषित होने के 30 दिवस की अवधि में ही परीक्षा परिणाम से संबंधित अभ्यावेदन पर विचार किया जायेगा।
6. स्थायी आदेश की किसी भी शर्त में छूट महानिदेशक पुलिस राजस्थान जयपुर द्वारा प्रदान की जावेगी।

संलग्न:- रिक्रूट कानिस्टेबल (चालक) प्रारम्भिक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम।


(मनोज भट्ट)
30/6/17
महानिदेशक पुलिस,
राजस्थान, जयपुर।

प्रतिलिपि :- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. महानिदेशक पुलिस, ए0सी0बी0 राजस्थान जयपुर।
2. समस्त अतिरिक्त महानिदेशक, पुलिस राजस्थान जयपुर।
3. निदेशक राजस्थान पुलिस अकादमी, जयपुर।
4. पुलिस आयुक्त, जयपुर/जोधपुर/ समस्त महानिरीक्षक पुलिस, राजस्थान जयपुर।
5. समस्त जिला पुलिस अधीक्षक मय जीआरपी अजमेर/जोधपुर।
6. प्रधानाचार्य आरपीटीसी जोधपुर।
7. समस्त कमाण्डेन्ट, आरएसी बटालियन मय आई.आर./एम.बी.सी. खेरवाड़ा/महिला बटालियन हाडी रानी अजमेर।
8. कमाण्डेन्ट पीटीएस जोधपुर/किशनगढ़/खेरवाड़ा/झालावाड़/अलवर/भरतपुर/बीकानेर/पीएमडीएस बीकानेर।
9. पुलिस अधीक्षक, पुलिस दूर संचार राजस्थान जयपुर।
10. पुलिस अधीक्षक, केन्द्रीय भण्डार, पुलिस मुख्यालय, राजस्थान जयपुर।

162902 30/11/17
अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस,
प्रशिक्षण, राजस्थान, जयपुर।

पार्ट-‘अ’

रिक्रूट कानि.ड्राईवर आधारभूत प्रशिक्षण पाठ्यक्रम

1.	प्रशिक्षण अवधि	180 दिवस (06 माह/24 सप्ताह)
2.	रविवार व अवकाश	46 दिवस
3.	मध्यावधि परीक्षा/फायरिंग	06 दिवस
4.	मध्यावधि अवकाश	04 दिवस
5.	जंगल कैम्प	04 दिवस
6.	अंतिम परीक्षा पी.ओ.पी.	20 दिवस
7.	प्रशिक्षण हेतु उपलब्ध दिवस	100 दिवस
8.	कार्य दिवस प्रति सप्ताह (राजपत्रित अवकाश के अलावा)	06 दिवस
9.	कालांश अवधि	40 मिनट
	अ.शारीरिक प्रशिक्षण(पी.टी.) (01 कालांश प्रतिदिन)	$100 \times 1 = 100$
	ब. I. खेल 50 कालांश (01 कालांश प्रतिदिन) II. अभिरुचि 50 कालांश	$100 \times 1 = 100$
	स. आऊटडोर कालांश (03 कालांश प्रतिदिन)	$100 \times 3 = 300$
	द. इण्डोर कालांश (05 कालांश प्रतिदिन)	$100 \times 5 = 500$
	कुल कालांश (अ, ब, स, द,)	1000

प्रश्न पत्र	विषय	अंक	कालांश
1	शारीरिक प्रशिक्षण	100	100
2	ड्रिल	100	188
3	हथियारों का ज्ञान एवं मस्केट्री	100	112
4	भारतीय संविधान, आधुनिक भारत में पुलिस की भूमिका, पुलिस संगठन एवं पुलिस की कार्य प्रणाली	100	250
5	भारतीय दण्ड संहिता, दण्ड प्रक्रिया संहिता, साक्ष्य विधि और स्थानीय एवं विशेष अधिनियम	100	250
6	विशिष्ट अभिरूचि	—	50
7	खेल	—	50
8	कमाण्डेन्ट द्वारा आंतरिक मूल्यांकन	20	—
	कुल योग	520	1000

"अ" शारीरिक प्रशिक्षण - पुरुष

क्र.स.	विषय	कालांश-100	अंक-100
1.	I कनेडियन पीटी 5 बीएक्स प्लान चार्ट नम्बर 1 से 6 तक II PT - RTC	10	
2.	योगासन	10	20
3.	ग्राउण्ड वर्क- गद्दे पर प्रशिक्षण	10	05
4.	तीनों दर्जे के रस्सों पर प्रशिक्षण	10	05
5.	घोड़ा (आडा व लम्बा)	10	10
6.	वॉक एवं रन-10 किमी 45,50,55 मिनट (प्रत्येक शनिवार को)	10	10
7.	बीम पर कार्य चिनअप अण्डरग्रिप-6, ओवरग्रिप-4	16	10
8.	असाल्ट-रूकावटें पार करना	04	10
9.	ऊँची कूद (3-5') तथा लम्बी कूद (12-15')	06	10
10.	यू.ए.सी. - Holds, Release, Kicks, Falls	04	10
11.	खेल नियमित	10	10
12.	प्रत्येक माह के अंतिम शनिवार को रात्रि में 16 किमी रूट मार्च करवाया जाएगा ।	-	-

"ब" शारीरिक प्रशिक्षण-महिला

क्र.स.	विषय	कालांश-100	अंक-100
1.	I कनेडियन पीटी 5 बीएक्स प्लान चार्ट नम्बर 1 से 6 तक II PT - RTC	10	20
2.	योगासन	10	
3.	ग्राउण्ड वर्क- गद्दे पर प्रशिक्षण	10	05
4.	रस्सों पर प्रशिक्षण केवल तीसरा दर्जा	10	05
5.	घोड़ा -आडा	10	10
6.	वॉक एवं रन-08 किमी 40,45,50 मिनट (प्रत्येक शनिवार को)	10	10
7.	बीम पर बैलेन्स बनाकर चलना	16	10
8.	असाल्ट-कमाण्डो ऑब्स्टेकल व 9' दीवार के अलावा	04	10
9.	ऊँची कूद (2.5', 3', 3.5') तथा लम्बी कूद (10', 11', 12')	06	10
10.	यू.ए.सी. - Holds, Release, Kicks, Falls	04	10
11.	खेल नियमित	10	10
12.	प्रत्येक माह के अंतिम शनिवार को रात्रि में 16 किमी रूट मार्च करवाया जाएगा ।	-	-

ड्रिल

क्र.स.	विषय	कालांश-188	अंक-100
1.	खाली हाथ ड्रिल	45	15
2.	हथियार सहित ड्रिल	45	15
3.	राईफल एक्सरसाईज	08	10
4.	केन ड्रिल	05	05
5.	गार्ड ड्यूटीज	15	05
6.	सेरेमोनियल ड्रिल	10	05
7.	कम्पनी ड्रिल एवं प्लाटून ड्रिल	05	05
8.	सम्मान गार्ड	02	05
9.	लाठी ड्रिल	08	05
10.	यातायात संकेत	04	02
11.	बलवा परेड, भीड नियंत्रण (अनियंत्रित भीड के समक्ष आत्म नियंत्रण, समझाइश के तरीके, पथराव पर संयम सहित नियंत्रण के तरीके और बलवा परेड)	20	06
12.	रबट बुलेट, प्लास्टिक पैलेट, प्लास्टिक बुलेट, एन्टी रॉईट गन, वॉटर केनन, वज्र, अश्रु गैस, गैस गन, गैस मास्क (पोली कार्बोनेट) प्लास्टिक ढाल, हैलमेट, केन की जानकारी।	08	05
13.	फायर फाइटिंग	03	05
14.	रैस्क्यू एवं साल्वेज	06	05
15.	बिगुल कॉल की जानकारी	04	02
16.	टर्न आउट	00	05

प्रश्न पत्र – III

हथियारों का ज्ञान एवं मस्केट्री

क्र.स.	विषय	कालांश-112	अंक-100
1.	राईफल एस एल आर 7.62	07	03
2.	5.56 एमएम इन्सास	03	03
3.	राईफल 7.62 एसएलआर	13	03
4.	एलएमजी 303/7.62 एमएम	10	03
5.	9 एमएम स्टेन गन/कारबाईन मशीन	06	03
6.	.22 राईफल, 12 बोर राईफल	8	02
7.	एके 47 एवं एके 56 राईफल	12	03
8.	जी.एफ. राईफल एवं एच.ई-36 ग्रेनेड	02	03
9.	.38 रिवाल्वर, 9 एम.एम पिस्टल, ग्लॉक पिस्टल की जानकारी	12	04
10.	विस्फोटक व बम डिस्पोजल (आई.ई.डी, डेटोनेटर, सेपटी फ्यूज तथा विस्फोटक को इस्तेमाल करना)	04	03
11.	फायरिंग व मस्केट्री	20	60
12.	एम्बुश/काउन्टर एम्बुश, पैट्रोलिंग	08	03
13.	वी.आई.पी. सुरक्षा (प्रेक्टिकल) (अ) ऐन्टी सबोटेज चैक (ब) हाउस प्रोटेक्शन ड्यूटी (स) व्हीकल सर्च (द) समारोह स्थल की सुरक्षा	05	04
14.	एस्कॉर्टिंग (कैश,आर्म्स एवं एम्युनेशन)	02	03

भारतीय संविधान, आधुनिक भारत में पुलिस की भूमिका, पुलिस संगठन एवं पुलिस की कार्यप्रणाली
कालांश-250 व अंक- 100

अ - भारतीय संविधान :

(कालांश-12, अंक-10)

क्र.स.	विषय	कालांश
1.	मूल अधिकार	08
2.	पुलिस बल के अधिकारों पर निर्बन्धन (अनुच्छेद 33)	02
3.	मूल कर्तव्य	01
4.	अनुच्छेद 311	01

ब- मानवाधिकार व पुलिस की भूमिका

(कालांश-17, अंक-08)

1	मानवाधिकार की अवधारणा और इसका महत्त्व	03
2	राष्ट्रीय एवं राज्य मानवाधिकार आयोग,	04
3	मानवाधिकार संरक्षण में पुलिस की भूमिका	03
4	जिला प्रशासन में पुलिस की भूमिका एवं अन्य विभागों के साथ पुलिस के संबंध	02
5	न्यायालयों का परिचय: • सर्वोच्च न्यायालय • उच्च न्यायालय व • अधीनस्थ न्यायालय	05

क्र.स.	विषय	कालांश
1	भारतीय पुलिस का इतिहास	02
2	केन्द्रीय पुलिस संगठन : • सीआरपीएफ • बीएसएफ • आईटीबीपी • सीआईएसएफ • आरपीएफ • आईबी • सीबीआई • एसएसबी	08
3	राज्य पुलिस का संगठन : • पुलिस मुख्यालय5 • रेंज कार्यालय2 • पुलिस अधीक्षक कार्यालय, वृत्त कार्यालय, पुलिस थाना (परिचयात्मक)10 • सी.आई.डी. (सी.बी.)2 • सी.आई.डी. (एस.एस.बी.)2 • राजस्थान सशस्त्र दल (आर0ए0सी0/एम0बी0सी0)2 • राजकीय रेल्वे पुलिस (जी0आर0पी0)1 • एन्टी टैररिस्ट स्क्वॉड (ए0टी0एस0)2 • स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप (एस0ओ0जी0)2 • राज्य अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एस0सी0आर0बी0)3 • पुलिस दूरसंचार2 • एसडीआरएफ2	35
4	राजस्थान में पुलिस कमिश्नर प्रणाली	03
5	निम्नलिखित संगठनों के बारे में संक्षिप्त जानकारी :- • भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ए0सी0बी0) • विधि विज्ञान प्रयोगशाला (एफ0एस0एल0) • गृह रक्षा दल व नागरिक सुरक्षा • जेल प्रशासन • अग्निशमन सेवा	06
6	• पुलिस एवं सेना के रैंक एवं बैजेज • अधिकारियों, विशिष्ट व्यक्तियों के वाहनों पर लगने वाले झण्डे, तारे एवं चिन्ह	04

7	सेवा नियम : • सेवा संबंधी- वर्दी, विभिन्न उपकरण, शस्त्र एवं गोला बारूद, अनुशासन, पुरस्कार, दण्ड, पदोन्नति एवं अवकाश, कल्याणकारी उपाय, शिकायतों के निवारण संबंधी प्रावधान • राजस्थान सिविल सेवा आचरण नियम 1971 (नियम 4, 4ए, 7, 9, 18, 21, 26) • राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण व अपील) नियम 1958 (नियम 13,14,15,16,17,19) • राजस्थान सेवा नियम - नियम 86	16
---	--	----

द व्यक्तित्व विकास :

क्र.सं.	विषय	(कालांश - 8 अंक -05) कालांश
1	अ - सम्प्रेषण दक्षता	02
2	ब - नेतृत्व क्षमता	02
3	स - टीम भवना, व्यक्तिगत स्वास्थ्य एवं स्वच्छता	02
4	द - पुलिस छवि व नैतिकता	02

य - पुलिस थाना प्रबन्धन व कार्यप्रणाली :-

क्र.सं.	विषय	(कालांश - 76 अंक - 20) कालांश
1	पुलिस स्टेशन पर सन्तरी ड्यूटी आरपीआर 1948 नियम 202,203	02
2	पुलिस स्टेशन पर आने वाले व्यक्तियों के साथ व्यवहार	02
3	गिरफ्तार व्यक्तियों के साथ व्यवहार व पुलिस अभिरक्षा में निरुद्ध व्यक्तियों के साथ बरती जाने वाली सावधानियां	02
4	पुलिस दूरसंचार प्रणाली परिचय व वायरलेस ड्यूटी	02
5	रेडियो टेलिफोनी (कॉल साईन, प्रक्रिया, उपकरण) डेमो एवं प्रायोगिक दूर संचार संदेश लेखन (व्यवहारिक प्रशिक्षण सहित)	05
6	कन्ट्रोल रूम एवं पुलिस मोबाईल	02
7.	संचार के आधुनिक तरीके	02
8.	साक्ष्य देने की प्रक्रिया	01
9.	घटना स्थल की सुरक्षा व अपराध अनुसंधान में इसका महत्व	02
10.	साक्ष्य का संकलन	02

11.	बीट प्रणाली का परिचय आरपीआर 1965 नियम 2.28	01
12.	अपराधों की रोकथाम में बीट प्रणाली का महत्व	02
13.	बीट बुक की जानकारी व संधारण (व्यवहारिक प्रशिक्षण सहित)	05
14.	समन/वारन्ट की तामील प्रक्रिया	03
15.	सामुदायिक सम्पर्क समूह का गठन एवं भूमिका	03
16.	अपराधों की रोकथाम में सीएलजी का महत्व	02
17.	कम्प्यूटर में फोल्डर बनाना, फाईल एवं फोल्डर को कॉपी पेस्ट करना	02
18.	ई-मेल अकाउंट बनाना एवं एसेस करना	03
19.	ई-मेल में डाटा एटैच करना एवं एटैच डाटा प्राप्त करना	03
20.	माईक्रोसोफ्ट व्ड	15
21.	माईक्रोसोफ्ट एक्सल	15

र - कानून व्यवस्था व अपराधों की रोकथाम

(कालांश - 18 अंक- 10)

क्र.सं.	विषय	कालांश
1	गश्त का महत्व एवं सामान्य सिद्धान्त	02
2	गश्त के दौरान ध्यान रखने योग्य बातें	01
3	दबिश घेराबन्दी व तलाशी का अर्थ, साधारण सिद्धान्त	02
4	दबिश घेराबन्दी व तलाशी के दौरान ध्यान रखने योग्य बातें	01
5.	नाकाबन्दी के सामान्य सिद्धान्त व पिकेट ड्यूटी	02
6.	मोबाईल ट्रैकिंग एवं सैल फोन डाटा का अनुसंधान में उपयोग	02
7.	निगरानी की परिभाषा प्रकार व महत्व	02
8.	भीड़ के प्रकार भीड़ की संख्या का अनुमान लगाना, भीड़ की मंशा का पता लगाना, विभिन्न प्रकार की भीड़ नियंत्रण हेतु पुलिस की संवेदनशीलता विशेष रूप से महिलाओं एवं बच्चों के साथ।	04
9.	जनता के साथ पुलिस का व्यवहार, सामान्य शिष्टाचार एवं आचरण	02

ल - सुरक्षा व आसूचना तथा पुलिस लाईन

(कालांश - 18 अंक- 10)

क.सं.	विषय	कालांश
1	आसूचना का अर्थ व प्रकार	02
2	वीआईपी की सुरक्षा के सिद्धान्त एक्सेस कन्ट्रोल व एन्टी सर्वोटॉज चैकिंग	02
3	ऐयरपोर्ट / हेलीपेड स्थास्थल, रुट तथा निवास स्थान पर व काफिला ड्यूटी व व्हीकल सर्च	02
4	ट्रेजरी गार्ड ड्यूटी व अन्य गार्ड ड्यूटी के दौरान कर्तव्य : (आरपीआर 1948 के नियम 143,146,147,150,152-155,157-162,165-170)	05
5	एस्कोर्ट एवं चालानी गार्ड ड्यूटी (अ) बंदी को कोर्ट/जेल ले जाने के दौरान आरक्षी की एस्कोर्ट ड्यूटी (ब) अस्पताल गार्ड ड्यूटी के दौरान सन्तरी के कर्तव्य (आरपीआर 1948 के नियम 173,174,177) (स) बैंक से नकदी एवं मूल्यवान कोष की एस्कोर्ट के दौरान आरक्षी की ड्यूटी (द) ट्रेन/बस में एस्कोर्ट ड्यूटी	04
6	अपराधी के पुलिस अभिरक्षा से भागने से रोकने के उपाय	01
7	अभिरक्षा से बंदी के फरार होने पर एस्कोर्ट द्वारा की जाने वाली कार्यवाही	01
8	कमाण्ड सर्टिफिकेट व उसका उपयोग	01

व-यातायात नियमन एवं प्राथमिक चिकित्सा

(कालांश 27, अंक-12)

क.सं.	विषय	कालांश
1.	यातायात नियमन का परिचय	01
2.	यातायात नियन्त्रण उपकरण एवं डिवाइसेज, यातायात संकेत व संकेतक	03
3.	यातायात सम्बन्धी अपराध एवं चालान प्रक्रिया	02
4.	यातायात ड्यूटी के दौरान आचरण	01
5.	चौराहों पर यातायात नियमन	01

63

6.	वाहनों का अन्तावरोध (इन्टरसैप्शन)	01
7.	दुर्घटना स्थलों की सुरक्षा, न्यायिक साक्ष्यों को सुरक्षित रखना जैसे रिकड मार्कस्, यातायात डाइवर्जन आदि	02
8.	दुर्घटना पीड़ितों को राहत-दुर्घटना पीड़ितों की प्राथमिक उपचार एवं उन्हें अस्तपाल पहुंचाना	02
9.	यातायात जाम के दौरान ड्यूटी	01
10.	राजमार्ग पर यातायात प्रबन्धन	01
11.	सड़क सुरक्षा शिक्षा	01
12.	यातायात पुलिस का संगठन एवं कार्य	01
13.	आपदा प्रबन्धन में पुलिस की भूमिका	02
14.	बचाव एवं राहत प्राकृतिक आपदा जैसे बाढ़, भूकम्प, चक्रवात आदि अन्य आवदाएं – सूखा, तूफान, ज्वालामुखी, भूस्खलन, सुनामी आगजनी की घटनाएं एवं गंभीर दुर्घटनाएं	06
15.	प्राथमिक चिकित्सा : अर्थ एवं इसका महत्व	02

भारतीय दण्ड संहिता, दण्ड प्रक्रिया संहिता, साक्ष्य विधि और स्थानीय एवं विशेष अधिनियम
कालांश - 250 व अंक - 100

अ - भारतीय दण्ड संहिता :

(कालांश -106, अंक- 45)

क्र.सं.	शीर्षक	धाराएं	कालांश
1.	सामान्य स्पष्टीकरण	21, 34	02
2.	दण्ड	75	01
3.	सामान्य अपवाद	76-95, 96-99, 100-103, 105,106	20
4.	दुष्प्रेरण	107-109	03
5.	आपराधिक षडयंत्र	120क, 120ख	01
6.	राज्य के विरुद्ध अपराध	121, 124क	01
7.	लोक प्रशांति के विरुद्ध अपराध	141-149, 153क, 159, 160, 283	08
8.	मिथ्या साक्ष्य एवं लोक न्याय के विरुद्ध अपराध	166, 166ए, 186,191-193, 201, 211,212 223, 224, 225	06
9.	लोक स्वास्थ्य क्षेम, सुविधा, शिष्टता एवं सदाचार पर प्रभाव डालने वाले अपराध	279, 292-294	04
10.	मानव शरीर पर प्रभाव डालने वाले अपराध	299, 300, 302, 304, 304क, 304ख, 306-309, 319, 320, 323-328, 332, 333, 336-338, 339-342, 353, 354, 356, 359-366, 366क, 375, 376, 376ख, 376ग, 376घ, 377	27
11.	सम्पत्ति के विरुद्ध अपराध	378-384, 390-399, 401, 402, 411, 419, 420, 425, 427, 441- 448, 451, 452, 454, 457-460	22
12.	पति व उसके नातेदारों द्वारा क्रूरता	498क	01
13.	अपराधों को करने का प्रयत्न	509-511	03
14.	भारतीय दण्ड संहिता में नवीनतम संशोधन		07

क्र.सं.	शीर्षक	धाराएं	कालांश
1.	परिभाषाएं	2(क),(ग),(घ),(छ),(ज),(ठ),(ण), (व),(भ)	05
2.	वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की शक्तियां मजिस्ट्रेट और पुलिस को सहायता	36-38	03
3.	व्यक्तियों की गिरफ्तारी	41-60, 60क	12
4.	सम्मान	61-69	04
5.	वारंट एवं उद्घोषणाएं	70-83	08
6.	चीर्जे पेश करने के लिये सम्मन, तलाशी वारंट एवं तलाशी सम्बन्धी प्रावधान	91,97,98,100,102	05
7.	परिशांति कायम रखने के लिए प्रतिभूति	106-110	05
8.	लोक व्यवस्था बनाए रखना	129,130,132,133,144, 145	06
9.	पुलिस के निवारक कार्य	149,150,151	03
10.	पुलिस को सूचना एवं उनकी अन्वेषण करने की शक्तियाँ	154-156,174,176	05
11.	कार्यवाहियां शुरू करने के लिए अपेक्षित शर्त	197	01
12.	जांचो तथा विचारणों के बारे में साधारण उपबंध	306	04
13.	जमानत के बारे में उपबन्ध	436-438	03
14.	दण्ड प्रक्रिया संहिता में नवीनतम सशोधन		07

ब - साक्ष्य अधिनियम :

(कालांश 13, अंक-05)

क्र.सं.	शीर्षक	धाराएं	कालांश
1.	साक्ष्य अधिनियम का सामान्य परिचय	सामान्य परिभाषाएं 3 - तथ्य, दस्तावेज, सुसंगत, विवाद्यक तथ्य, साक्ष्य, साबित, नासाबित, साबित नहीं हुआ	05
		धारा 24, 25, 26, 27, 45, 61, 62, 63, 74, 75, 101, 102, 137 व 138 साक्ष्य अधिनियम	07
		मृत्युकालीन घोषणा 32 (1) एवं आरपीआर 1965 नियम 6.22	01

द - स्थानीय एवं विशेष अधिनियम

क्र.सं.	शीर्षक	धाराएँ	कालांश (कालांश 60, अंक 15)
1.	मोटर यान अधिनियम 1988	2, 119, 133, 177, 179, 183, 192, 194, 202, 204,	05
2.	नॉइज कंट्रोल एक्ट 1963	2-6, 8	03
3.	राजस्थान धूम्रपान निषेध अधिनियम 2003	7/11, 9/11	02
4.	आयुध अधिनियम 1959	2,3/25, 4/25, 39	04
5.	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989	3, 4	02
6.	राजस्थान आबकारी अधिनियम 1950	16/54, 19/54	02
7.	राजस्थान सार्वजनिक द्यूत अध्यादेश 1949	3, 4, 5, 13	02
8.	- राजस्थान पुलिस अधिनियम 2007 - राजस्थान पुलिस नियम 2008 - राजस्थान पुलिस नियम 1948 - राजस्थान पुलिस नियम 1965	- धारा 2,29-41, 43, 55, 60, 61, 62 - नियम 7,8,9,12,13,14 - सामान्य परिचय - सामान्य परिचय	22
9.	बालको का लैंगिक अपराधों से संरक्षण अधिनियम 2012	3-12, 19, 21, 23, 24, 27	05
10.	राजस्थान वन अधिनियम 1953	33, 41, 42, 52-54, 64, 66	04
11.	वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972	2, 9, 51-55	03
12.	राजस्थान संपत्ति विरूपण निवारण अधिनियम 2006	2-7	03
13.	सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000	2, 65-67	04

नोट :- भारतीय दण्ड संहिता को पढाये जाने का मुख्य उद्देश्य नव आरक्षक को अपराध की प्रकृति एवं दण्ड विधान से अवगत कराना है ताकि वह समाज में गठित होने वाली घटनाओं एवं कृत्यों का मूल्यांकन वैधानिक प्रावधानों के सन्दर्भ में कर सकें। धाराओं की सामान्य जानकारी दी जानी है और जहाँ कई स्थानों में दण्डात्मक धाराओं के साथ परिभाषा को भी समझाना होगा जो पाठ्यक्रम में उल्लेखित नहीं है किन्तु प्रशिक्षण ऐसी स्थिति में प्रशिक्षणार्थियों को समझाने हेतु आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए अध्यापन कार्य करेंगे।

उपरोक्त स्थानीय एवं विशिष्ट अधिनियमों की सामान्य जानकारी प्रदान किया जाना पर्याप्त है। कोई कृत्य किस अधिनियम के अन्तर्गत अपराध है, उसमें कार्यवाही के लिये कौन अधिकृत है एवं पुलिस

की सीमाएं एवं ऐसे कृत्य/घटना या वस्तु को सामने देखने पर आरक्षक द्वारा क्या कार्यवाही की जा सकती है आदि बिन्दुओं पर ज्यादा ध्यान दिया जाना है ।

नोट :- दण्ड प्रक्रिया संहिता एवं साक्ष्य विधि में धाराओं का प्रारम्भिक ज्ञान ही प्रदान करना प्रमुख उद्देश्य है ताकि आरक्षक अपराध दण्ड विधान हेतु अपनाई जाने वाली प्रक्रिया एवं साक्ष्यों का महत्व समझ सकें। व्यक्तियों की गिरफ्तारी एवं इस सम्बन्ध में सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश, समन व वारन्ट की तामील, परिशान्ति कायम रखने हेतु सदाचार के लिए प्रतिभूति एवं विधि विरुद्ध जमाव आदि बिन्दुओं पर ज्यादा ध्यान केन्द्रित किया जाना है। आरक्षकों को गिरफ्तारी, समन एवं वारन्ट की तामील कैसे की जायेगी का व्यवहारिक ज्ञान कक्षा में प्रायोगिक रूप में दिया जाए। परिशान्ति कायम रखने हेतु सदाचार के लिए प्रतिभूति के इस्तेमाल प्रायोगिक रूप से तैयार करवाएं।

प्रशिक्षण के दौरान निम्नानुसार फायरिंग अभ्यास होगा :-

- 12 वें सप्ताह में 10 राउण्ड .22 राईफल से 5 गुपिंग एवं ऐप्लीकेशन प्रैक्टिस । टारगेट 1'X1' रेन्ज 25 गज।
- 18 वें सप्ताह में 15 राउण्ड 7.62 एम.एम, एस.एल.आर राईफल से 5 गुपिंग, 5 ऐप्लीकेशन एवं 5 स्नैप शूटिंग प्रैक्टिस तथा 15 राउण्ड .303 राईफल से 5 गुपिंग, 5 ऐप्लीकेशन एवं 5 स्नैप शूटिंग प्रैक्टिस । टारगेट 4'X4' रेन्ज 100 गज ।

अंतिम परीक्षा फायरिंग

1	<u>.303 राईफल</u>						15	30
	5 राउण्ड गुपिंग, रेन्ज-100 गज टारगेट 4X4 अंक- 10 (पोजिसन लेटकर)							
	5 राउण्ड ऐप्लीकेशन, रेन्ज-100 गज टारगेट 4X4 अंक- 10 (नीलिंग पोजिसन)							
	5 राउण्ड स्नैप शूटिंग रेन्ज-200 गज टारगेट 22 अंक-10 (स्टैंडिंग पोजीशन)							
2	<u>एस.एल.आर. 7.62 एम.एम.</u>						15	30
	5 राउण्ड गुपिंग, रेन्ज-100 गज टारगेट 4X4 अंक- 10 (पोजिसन लेटकर)							
	5 राउण्ड ऐप्लीकेशन, रेन्ज-100 गज टारगेट 4X4 अंक- 10 (नीलिंग पोजिसन)							
	5 राउण्ड स्नैप शूटिंग रेन्ज-100 गज टारगेट 22 अंक-10 (स्टैंडिंग पोजीशन)							
गुप ईन्च में		2	3-4	5-6	7-8	9-10	11-12	
अंक		10	9	8	7	6	5	
ऐप्लीकेशन		बुल	ठनर	मेगपाई	आउटर			
अंक		2	1 ³ / ₄	1 ¹ / ₂	1			
स्नैप शूटिंग अंक - प्रत्येक 1 हिट गोली के 02 अंक								60
कुल								

प्रशिक्षणाथियों को प्रशिक्षण के दौरान निम्नलिखित में से अपनी रुचि के किसी एक विशिष्ट कार्यक्षेत्र (विषय) में भाग लेना अनिवार्य है। प्रशिक्षणार्थी उक्त विषय के लिये निर्धारित कालांशों में अपनी रुचि के कार्यक्षेत्र में भाग लेकर विशेष योग्यता विकसित करेंगे एवं व्यावहारिक कार्य से दक्षता प्रदर्शित करेंगे:-

क्र.सं.	विशिष्ट कार्यक्षेत्र (विषय)
1.	ऐथलेटिक्स
2.	हॉकी
3.	वालीबॉल
4.	बॉस्केटबॉल
5.	नाकाबन्दी कौशल
6.	काईमसीन ऑब्जर्वेशन (अपराध घटनास्थल अवलोकन)
7.	प्राथमिक उपचार
8.	वाहन में लगे वायरलेस उपकरण के उपयोगार्थ प्रशिक्षण
9.	VIP Car cade movement and driving

69

पार्ट-‘ब’

रिक्रूट कानि. ड्राईवर व्यावसायिक (एम.टी.) प्रशिक्षण पाठ्यक्रम

1	प्रशिक्षण अवधि	150 दिवस (5 माह / 21 सप्ताह)
2	रविवार व अवकाश	35 दिवस
3	मध्यावधि परीक्षा	4 दिवस
4	अंतिम परीक्षा	4 दिवस
5	प्रशिक्षण हेतु उपलब्ध दिवस	107 दिवस
6	कुल कालांश (प्रतिदिन 10 कालांश)	107 X 10 = 1070
7	कालांश अवधि	40 मिनट

कालांश का विभाजन

1	पी.टी. / योगासन	107 कालांश
2	परेड	107 कालांश
3	सैद्धांतिक	202 कालांश
4	व्यावहारिक	60 कालांश
5	वाहन चालन व्यावहारिक प्रशिक्षण	487 कालांश
6	खेल	107 कालांश

अंक विभाजन

प्रश्न पत्र	विषय	अंक
प्रथम	सैद्धांतिक : वाहन चालन यातायात के सिद्धांत (गैर तकनीकी)	100
द्वितीय	सैद्धांतिक : वाहनों का रख रखाव एवं अभियांत्रिकी सिद्धांत (तकनीकी)	100
तृतीय	वाहन संधारण एवं दोष निवारण (व्यावहारिक)	100
चतुर्थ	वाहन चालन (व्यावहारिक)	100
कमाण्डेन्ट द्वारा साक्षात्कार एवं आंतरिक मूल्यांकन		50
कुल योग		450

कालांश - 88

वाहन चालन यातायात के सिद्धान्त (गैर तकनीकी)

अंक - 100

क्र.सं.	विषय	कालांश
1	वाहन चालन एवं नियन्त्रण -1. हाथ से नियन्त्रण 2. पैरों से नियन्त्रण 3. अन्य नियन्त्रण	2
2	गाड़ी को चलाते समय गाड़ी को मुव करने, स्टेयरिंग, गीयर, ब्रेक के बारे में जानकारी	1
3	वाहन चलाने से पूर्व की जाने वाली जांच के बारे में जानकारी देना। (सीट पर बैठने से पूर्व सीट पर बैठने के बाद, वाहन चालू करने से पहले)	3
4	वाहन चलाने के समय रखी जाने वाली सावधानियां : स्टेयरिंग नियन्त्रण, गियर बदलना, वाहन रोकना व ब्रेक लगाना।	1
5	यात्रा से पूर्व, यात्रा के दौरान तथा यात्रा के बाद चालक द्वारा आवश्यक रूप से रखी जाने वाली सावधानियां व कार्यवाही	2
6	वाहन चालन के समय यातायात की समझ-रोड सेन्स की जरूरत व उसे बढ़ाने के तरीके	1
7	स्टेयरिंग व्हील की पकड़ वाहन चलाते समय तथा हॉर्न बजाते समय की जानकारी	1
8	सड़क पर वाहन चलाते समय-पूर्वानुमान एवं निर्णय तथा सड़क मार्ग की स्थिति एवं अन्य लोगों का ध्यान रखना	1
9	विभिन्न स्थानों पर वाहन चलाना, मार्ग के मोड़ मार्ग चौराहे, मार्ग तिराहे पर मोड़ना, मार्ग में पीछे मुड़ना, मार्ग पर वाहन को ओवर टेक करने की जानकारी देना।	1
10	भीड़-भाड़ वाले स्थान पर वाहन चलाना, वाहन को रिवर्स (बैक) करना, वाहन में गीयर पोजिशन वाहन को S (एस) बैंड बनाते हुए रिवर्स गीयर में स्पीड नियन्त्रण की जानकारी	1
11	सामान्य परिस्थितियाँ एवं आपातकाल में वाहन रोकने की जानकारी देना।	1
12	सुरक्षात्मक वाहन चालन, निर्णय लेना, दूरदर्शिता, बचाव, रूट की तैयारी की जानकारी देना	2
13	वाहन को समतल, घुमाव, चढ़ाई, उतार, पर पार्किंग के बारे में जानकारी देना।	1
14	रात्रिकालीन वाहन चालन के बारे में जानकारी	1
15	आपातकालीन वाहन चालन, ब्रेक फेल हो जाना, स्टब एक्सल टुटना, टायर ब्रस्ट होने पर, तथा ढलान में ब्रेक खराब होने पर, तथा वाहन के सामने अचानक अवरोधक आ जाने पर	1
16	विशेष परिस्थितियों में वाहन चालन :- वर्षा के दौरान, सूर्योदय के समय, गौधूलीवेला के समय, कोहरे के दौरान, चिकनाई भरी तथा गीली सड़क पर वाहन चालने की जानकारी देना।	2
17	सड़क पर वाहन चालने के दायित्व तथा दूसरे सड़क उपभोक्ता के प्रति व्यवहार की जानकारी।	1
18	निश्चित वाहनों के प्रति प्राथमिकता की जानकारी देना यथा - शवयुक्त वाहन, अग्निशमक वाहन, एम्बुलैंस, वी.आई.पी. वाहन तथा चालक के ध्यान रखने योग्य बातें।	2
19	फ्यूल बचत के बारे में जानकारी देना :- इंजन की सही टयून-अप, उपयुक्त रूप से क्लच गियर तथा ब्रेक का उपयोग, टायर प्रेशर, आदि	1
20	चालक द्वारा हाथ के संकेत- अनिवार्य, सूचनात्मक, पूर्वसावधानी	1
21	यातायात (सिपाही) कानि. द्वारा हाथ के संकेत की जानकारी	1
22	चालक की दूर दृष्टी- मोड़ पर, इन्टरसेक्शन पर, टी जंक्शन पर वाई जंक्शन पर, की जानकारी देना।	1
23	सड़क मार्ग चिन्ह की जानकारी- सफेद लाइन, पीली लाइन, जेब्रा क्रॉसिंग, स्टॉप लाइन पार्किंग इत्यादि, तथा मुख्य सड़क से छोटी सड़क का निशान	2

24	उच्च मार्ग (हाइवे) तथा शहर की सड़कों पर गति नियम की जानकारी।	1
25	उपमार्ग, उपपथ, ओवर ब्रिज, पलाई ओवर, की जानकारी तथा वाहन चालन प्रक्रिया।	1
26	दुर्घटना के कारण तथा उपाय की जानकारी।	1
27	दुर्घटना होने पर चालक द्वारा करने व न करने वाले कार्यों की जानकारी देना।	1
28	वाहन संचालन के दौरान किये जाने वाले व्यवहार की जानकारी देना।	1
29	आग लगने के कारण तथा बुझाने के बारे में जानकारी देना।	1
30	प्राथमिक उपचार के बारे में जानकारी देना।	1
31	प्रदूषण एवं पर्यावरण सम्बन्धी सामान्य जानकारी तथा वाहन प्रदूषण के कारण भारत स्टेज 1,2,3,4, व 5 की जानकारी तथा सी.एन.जी. के बारे में जानकारी	3
32	मोटर वाहन अधिनियम का परिचय	3
33	मोटर वाहन अधिनियम 1988 के तहत रोड़ संकेत व चिन्ह	3
34	वाहन दस्तावेज के बारे में जानकारी	2
35	रक्षात्मक ड्राइविंग के बारे में जानकारी	1
36	क्रॉस कन्ट्री ड्राइविंग के बारे में जानकारी	1
37	लेन ड्राइविंग और एक्सप्रेस हाइवे ड्राइविंग के बारे में जानकारी	1
38	हिल ड्राइविंग और डिजर्ट ड्राइविंग एवं कोहरा एहतियात के बारे में जानकारी	2
39	नाईट ड्राइविंग के बारे में जानकारी।	1
40	ऑप्प्रेशन के दौरान गाड़ीयों पर नियन्त्रण (कन्ट्रोल ऑफ एम.टी. कानवाई ऑप्प्रेशन)	1
41	वाहन में रख-रखाव के तरीके और मैन्टीनेन्स टास्क के बारे में जानकारी।	2
42	रिकवरी प्रोसीजर की जानकारी देना।	1
43	नई गाड़ी के बारे में जानकारी और पंजीकरण कराना।	1
44	फ्रोस्ट प्री-काशन और डिजर्ट प्री-काशन की जानकारी देना।	1
45	अच्छे वाहन चालक के गुण	1
46	भारत सरकार के द्वारा अधिसूचित प्रत्येक वाहन की निर्धारित अधिकतम गति सीमा	1
47	मोटर वाहन अधिनियम 1988 के अनुसार- 1. अनुज्ञा (लाईसेन्स) मो.वा.अ. धाराएँ-3,4,5,15,21,23, 2. पंजीयन धारा- 39,52,60,66 3. वाहनों का संधारण-109. 4. यातायात नियंत्रण-112,117 से 122,125, 127 से 134, 136, 140 से 145 तक. 5. बीमा और सुरक्षा धारा-146,149,156,157 6. अपराध एवं दण्ड धारा-180 से 182,184,185 से 190, 196,201,206,207	24
48	राजस्थान मोटर गाड़ी नियम।	1
कुल कालांश		88

सैद्धान्तिक (वाहनों का रखरखाव एवं अभियान्त्रिकी सिद्धान्त)

कालांश - 114

अंक - 100

क्र.सं.	विषय	कालांश
1	ऑटोमोबाइल का परिचय अवश्यकता तथा उपयोग	1
2	वाहन के उपकरण, रख-रखाव और देखभाल	1
3	वाहन के आवश्यक भाग- चैसिस एवं बॉडी का उद्देश्य एवं रख रखाव की जानकारी	1
4	इंजन पार्ट्स और उनके कार्य	1
5	तकनीकी परिभाषा - इंजन, बोर, स्ट्रोक, पिस्टन डिस्प्लेसमेंट, सी.सी., टी.डी.सी., वी.डी.सी., वॉल्यूम क्लियरेंस, रेसी प्रोकेटिंग मोशन, कम्प्रेशन रेशो, ब्रेक हॉर्सपावर, वी.एच.पी., आई.एच.पी., एफ.एच.पी., E.C.U., कार्य, शक्ति, यांत्रिक शक्ति, ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, पदार्थ, भार द्रव्यमान, चाल, वेग, त्वरण, बल, घर्षण, विस्कोसिटी, एस.ए.ई., टो इन, टो आउट, केम्पर एंगल, कास्टर एंगल, व्हील ट्रेक, व्हील बेस, ग्राउंड क्लरीयेन्स	7
6	ऑटो मोबाइल का वर्गीकरण	1
7	फायरिंग ऑर्डर के बारे में जानकारी 4,6,8, सिलेण्डर इंजन	2
8	इंजन की परिभाषा व मुख्य भाग तथा कार्य विधि की जानकारी	2
9	वाल्व तन्त्र के बारे में जानकारी	2
10	फोर-स्ट्रोक इंजन की कार्य विधि	2
11	टू-स्ट्रोक इंजन की कार्यविधि	2
12	स्पार्क इग्नीशन (S.I) व कम्प्रेशन इग्नीशन (C.I.) इंजन में अन्तर	1
13	वाहन में ईंधन सप्लाई सिस्टम की जानकारी एफ.आई.पी. व रोटरी पम्प तथा दोष व निवारण	3
14	इलैक्ट्रिक फ्यूल पम्प की जानकारी देना	1
15	इंजन कुलिंग सिस्टम के प्रकार, कार्यप्रणाली व दोष व निवारण की जानकारी	2
16	कुलिंग सिस्टम फ्लैशिंग (साफ करना)	1
17	स्नेहल प्रणाली की आवश्यकता, प्रकार, तथा स्नेहल प्रणाली की विधियाँ की जानकारी तथा दोष व निवारण	3
18	बैट्री के बारे में विस्तृत जानकारी तथा झाई बैट्री के बारे में जानकारी	3
19	इग्नीशन सिस्टम की परिभाषा यह कितने प्रकार का है तथा बैट्री इग्नीशन सिस्टम के बारे में विस्तृत जानकारी तथा दोष व निवारण	3
20	इंजन की समस्या व निवारण	5
21	इलैक्ट्रिक सर्किट की जानकारी देना	3
22	ट्रांसमिशन सिस्टम के बारे में जानकारी देना	2
23	क्लच का कार्य, मुख्य भाग, क्लच के प्रकार एवं कार्यविधि की जानकारी तथा दोष व निवारण	4
24	गीयर के मुख्य भाग, कार्य तथा कार्य विधि व दोष व निवारण	4
25	प्लेनेटरी टाईप गीयर बॉक्स के बारे में जानकारी देना	2
26	ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन के बारे में जानकारी	2
27	ट्रांसफॉर (4X4) केश के सामान्य कार्य व उपयोगिता	2
28	विभेदक (डिफ्रेन्शियल) के बारे में जानकारी देना	2
29	स्टेयरिंग प्रणाली की सामान्य जानकारी	2
30	स्टेयरिंग ज्योमेट्री के बारे में जानकारी	2
31	पावर स्टेयरिंग के बारे में जानकारी	2
32	सस्पेंशन सिस्टम के बारे में जानकारी	2
		5

33	एलायमेंट के लिए गाड़ी तैयार करने के बारे में जानकारी देना	2
34	टायर और रिम के बारे में जानकारी देना	4
35	ब्रेक सिस्टम के बारे में जानकारी देना	5
36	एग्जास्ट ब्रेक के बारे में जानकारी देना	1
37	एन्टी लोक ब्रेकिंग सिस्टम (ए.बी.एस.) के बारे में जानकारी देना	2
38	सैल्फ स्टार्टर के बारे में जानकारी देना	2
39	अल्टीनेटर के बारे में जानकारी देना	2
40	एम.पी.एफ.आई. व सी.आर.डी.आई. सिस्टम के बारे में विस्तार से जानकारी देना	3
41	कार्बुरेटर के बारे में सामान्य जानकारी	2
42	कैटलेटिक कन्वर्टर, टर्बोचार्ज्ड, इन्टरकूलर, ई.जी.आर. वाल्व, के बारे में जानकारी देना	2
43	लैडेड, (सीसा युक्त) और अनलैडेड (सीसा रहित) पेट्रोल के बारे में जानकारी देना	1
44	ईंधन रेटिंग, ओकटेन और सिटेन नम्बर के बारे में जानकारी देना	1
45	विभाग में संचालित वाहन कार, टवेरा, बोलेरो, स्कोपियो, मिडियम बस, हैवी-बस, ट्रक के सर्विस सड्यूल के बारे में जानकारी देना	7
46	मोटर साईकिल इनफिल्ड का सामान्य परिचय और सामान्य विनिर्देश	2
47	सी.एन.जी.(कम्प्रेस्ड नेचुरल गैस के बारे में जानकारी	2
	कुल कालांश	114

प्रश्न पत्र - III

**वाहन संधारण तथा दोष निवारण (व्यावहारिक)
(मैन्टीनेन्स ऑफ व्हीकल एण्ड फाल्ट फाइंडिंग)**

कालांश - 60

अंक - 100

क्र.सं	विषय	कालांश
1	ईंधन की आपूर्ति प्रणाली के दोष व निवारण टाटा 712 EX	03
2	ईंधन की आपूर्ति प्रणाली के दोष व निवारण मिनी बस/कार/बोलेरो/मिनी ट्रक	03
3	कुलिंग सिस्टम के दोष व निवारण	02
4	इग्नीशन सिस्टम के दोष व निवारण मिनी बस/कार/बोलेरो/मिनी ट्रक	03
5	गति चालन के दोष व निवारण (कल्व)	01
6	ब्रेक सिस्टम व ब्रेक ब्लीडिंग के दोष व निवारण	02
7	आपातकाल में कामचलाऊ मरम्मत	02
8	कुलिंग सिस्टम फ्लशिंग	01
9	स्नेहल (लुब्रीकेशन) की पहचान व जानकारी	01
10	एम.पी.एफ.आई. वाहन के दोष व निवारण	05
11	चैसिस लुब्रीकेशन/सस्पेंशन लुब्रीकेशन की व्यावहारिक जानकारी	01
12	गियर प्रणाली के दोष व निवारण	01
13	ट्रान्समिशन प्रणाली के दोष व निवारण	02
14	एग्जास्ट प्रणाली के दोष निवारण सिस्टम की व्यावहारिक जानकारी	01
15	सी.आर.डी.आई प्रणाली युक्त वाहन के दोष व निवारण	5
16	पावर स्टेयरिंग के दोष व निवारण	01
17	वाहनों में प्रयोग में लाये जाने वाले फिल्टरों के दोष निवारण की व्यावहारिक जानकारी	01
18	कार्बुरेटर एवं इग्नीशन प्रणाली के दोष निवारण की व्यावहारिक जानकारी	03
19	विद्युत प्रणाली के विभिन्न सर्किटों के दोष निवारण	02
20	ईंधन की आपूर्ति प्रणाली के दोष निवारण टाटा 709/712 EX	02
21	सस्पेंशन प्रणाली के दोष व निवारण	02
22	ईंधन की आपूर्ति प्रणाली के दोष व निवारण जीप डी.आई. व कार	02
23	इग्नीशन सिस्टम के दोष व निवारण मोटर साईकिल, हीरो हॉन्डा व सूजुकी	01
24	विद्युत प्रणाली के दोष व निवारण टाटा 407/712 EX	02
25	विद्युत प्रणाली के दोष व निवारण जीप डी.आई. कार आई.एस.जेड्. यू. 1800	02
26	परिवहन शाखामें उपयोग लिये जाने वाले उपकरणों के रखरखाव व उपयोग की जानकारी	01
27	टास्क प्रणाली और निरीक्षण डेमो (व्यावहारिक) के साथ रखरखाव	01
28	वाहन के टायर, ट्यूब एवं बैटरी का रखरखाव	02
29	टायर रोटेशन एवं लोग बुक का संधारण	02
30	ऑयल बदलना	02
31	निरीक्षण का डेमो	01
	कुल कालांश	60

प्रश्न पत्र – IV

कालांश – 487

वाहन चालन (व्यावहारिक)

अंक – 100

क्र.सं.	विषय	कालांश
1	वाहन के सीट पर बैठना और स्टेयरिंग से नियंत्रण करना	03
2	खड़े वाहन के व्हीलों पर जैक लगाना और जैक उतारना	02
3	ठंडे इंजन को स्टार्ट करने की प्रक्रिया और एस्टूमेन्ट की जाँच और गीयर की बदली	07
4	वाहन चालन सीट पर बैठने और उतरने की कवायद	02
5	वाहन चालन प्रारम्भ और संस्था ट्रैक व खुले में अभ्यास	15
6	ट्रैक पर संचालन के दौरान शॉट ड्राइविंग 4 बाई 4 गीयर के उपयोग	08
7	ट्रैक पर संचालन के दौरान डीजल वाहन में ईंधन सप्लाई रुकने सम्बंधी कमी	03
8	ट्रैक पर संचालन के दौरान पेट्रोल वाहन में ईंधन सप्लाई रुकने सम्बंधी कमी	04
9	ट्रैक पर संचालन के दौरान इग्नीशन सिस्टम	07
10	नॉन इस्टिक चैन अभ्यास (ट्राई और छोटी ड्राइव करना)	07
11	ट्रैक एवं खुले मैदान पर ड्राइविंग ओवर टैक करना	13
12	एम.पी.एफ.आई कार/बोलेरो सी.आर.डी.आई. का ट्रैक पर संचालन के दौरान आई खराबी का निवारण	07
13	ट्रैक ड्राइविंग के दौरान रिवर्स करते हुये गैरेजिंग करना	27
14	ट्रैक पर वाहन संचालन के दौरान वाहनों के दोषों का निवारण	07
15	आपात स्थिति में अचानक ब्रेक का उपयोग एवं दुर्घटना से बचना	04
16	निर्देशित बिन्दू पर वाहन रोकना	07
17	लॉग ड्राइविंग का अभ्यास	100
18	सेमुलेटर ड्राइविंग का अभ्यास	42
19	सिटी ड्राइविंग का अभ्यास	56
20	पहाड़ी ड्राइविंग लॉग ड्राइविंग का अभ्यास	20
21	क्रॉस कन्ट्री ड्राइविंग का अभ्यास	07
22	मोटर कैड (काफिला) की ड्राइविंग	14
23	वाहन का टोचन करना	02
24	रक्षात्मक ड्राइविंग	02
25	ग्रामीण इलाके में ड्राइविंग की ट्रेनिंग	25
26	जाम में ड्राइविंग की ट्रेनिंग	10
27	वाहन की A.C. प्रणाली के सुगम संचालन की जानकारी	10
28	वाहन से अच्छा माईलेज लेने का प्रशिक्षण(ड्राइविंग)	30
29	VIP और VVIP कारकेड का अभ्यास	07
30	निश्चित वाहनों के सड़क पर चालन संबंधी वरीयताओं संबंधी अभ्यास	04
31	VVIP सुरक्षा हेतु वाहन को 90 डिग्री टर्न लेने के बारें में अभ्यास	07
32	VVIP सुरक्षा हेतु यदि रोड में अवरोध है या एंबुस लगा हो तो चलती गाड़ी में 180 डिग्री टर्न लेने का अभ्यास	07
33	VVIP सुरक्षा हेतु स्नेक चालन का अभ्यास	07
34	VVIP सुरक्षा हेतु फोर व्हील लॉक करते हुए लॉक टर्न चालन का अभ्यास	07
35	VVIP सुरक्षा हेतु तीन रोड, साईड प्रेक्टिस का अभ्यास	04
36	फिसलन भरी रोड पर चालन का अभ्यास	03
	कुल कालांश	487

कार्यालय महानिदेशक पुलिस (प्रशिक्षण), राजस्थान, जयपुर

24

क्रमांक:- प-11(01)प्रशि/पॉलिसी/विविध/2019/1640

दिनांक:- 4/4/2019

संशोधन आदेश

"स्थाई आदेश संख्या-9/2017"

राजस्थान पुलिस के रिक्रूट कानिस्टेबल ड्राईवर के प्रारम्भिक प्रशिक्षण के लिए स्थाई आदेश संख्या - 9/2017 द्वारा पाठ्यक्रम निर्धारित किया गया है। वर्तमान समय की आवश्यकताओं एवं .303 राईफल को पुलिस में उपयोग से अलग करने के फलस्वरूप इस पाठ्यक्रम में आंशिक संशोधन करते हुए आउटडोर विषय के प्रश्नपत्र-III एवं अन्तिम फायरिंग परीक्षा के लिए निम्नानुसार विषय/हथियार निर्धारित किये जाते हैं :-

अ. प्रश्नपत्र-III (हथियारों का ज्ञान एवं मस्केट्री):

क्र.सं.	विषय	कालांश-112	अंक-100
1.	5.56 एमएम इन्सास राईफल	03	03
2.	राईफल 7.62 एस.एल.आर.	20	06
3.	एलएमजी .303/7.62 एमएम	10	03
4.	9 एमएम स्टेनगन/कारबाइन मशीन	06	03
5.	.22 राईफल, 12 बोर पम्प-एक्शन गन	08	02
6.	एके-47 एवं एके-56 राईफल	12	03
7.	जी.एफ राईफल एवं एच.ई.-36 ग्रेनेड	02	03
8.	.38 रिवाल्वर/ 9 एमएम पिस्टल/ ग्लॉक पिस्टल की जानकारी	12	04
9.	विस्फोटक व बम डिस्पोजल (आईईडी, डेटोनेटर, सेफटी फ्यूज तथा विस्फोटक को इस्तेमाल करना)	04	03
10.	फायरिंग व मस्केट्री	20	60
11.	एम्बुश/काउण्टर एम्बुश, पैट्रोलिंग	08	03
12.	वी.आई.पी. सुरक्षा (प्रेक्टिकल) (अ) एण्टी सबोटेज चैक (ब) हाउस प्रोटेक्शन ड्यूटी (स) व्हीकल सर्च (द) समारोह स्थल की सुरक्षा	05	04
13.	एस्कॉर्टिंग (कैश, आर्म्स एवं एम्युनेशन)	02	03

9

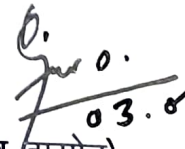
प्रशिक्षण के दौरान निम्नानुसार फायरिंग अभ्यास होगा

- 12वें सप्ताह में 10 राउण्ड .22 राईफल से 5 ग्रुपिंग एवं ऐप्लीकेशन प्रेक्टिस। टारगेट 1'x1' रेंज 25 गज।
- 18वें सप्ताह में 15 राउण्ड 7.62 एम.एम. एस.एल.आर. राईफल से 5 ग्रुपिंग, 5 ऐप्लीकेशन एवं 5 स्नैप शूटिंग प्रेक्टिस तथा 15 राउण्ड 5.56 एमएम इन्सास से 5 ग्रुपिंग, 5 ऐप्लीकेशन एवं 5 स्नैप शूटिंग प्रेक्टिस। टारगेट 4'x4' रेंज 100 गज।

ब. अन्तिम परीक्षा फायरिंग

1.	5.56 एमएम इन्सास						15 राउण्ड	30 अंक	
	5 राउण्ड ग्रुपिंग, रेन्ज-100 गज टारगेट 4X4 अंक-10 (पोजीशन लेटकर) 5 राउण्ड ऐप्लीकेशन, रेन्ज-100 गज टारगेट 4X4 अंक 10 (नीलिंग पोजीशन) 5 राउण्ड स्नैप शूटिंग, रेन्ज-100 गज टारगेट 22" अंक-10 (स्टेण्डिंग पोजीशन)								
2.	7.62 एमएम एस.एल.आर.						15 राउण्ड	30 अंक	
	5 राउण्ड ग्रुपिंग, रेन्ज-100 गज टारगेट 4X4 अंक-10 (पोजीशन लेटकर) 5 राउण्ड ऐप्लीकेशन, रेन्ज-100 गज टारगेट 4X4 अंक-10 (नीलिंग पोजीशन) 5 राउण्ड स्नैप शूटिंग, रेन्ज-100 गज टारगेट 22" अंक-10 (स्टेण्डिंग पोजीशन)								
ग्रुप इन्च में		2	3-4	5-6	7-8	9-10			11-12
अंक		10	9	8	7	6			5
ऐप्लीकेशन		बुल	इनर	मेगपाई		आउटर			
अंक		2	1¾	1½		1			
स्नैप शूटिंग अंक – प्रत्येक हिट गोली के 02 अंक									
कुल									60 अंक

शेष इण्डोर एवं आउटडोर पाठ्यक्रम यथावत् रहेगा।


 (राजीव दासोत),
 महानिदेशक पुलिस,
 प्रशिक्षण, राजस्थान, जयपुर।

प्रतिलिपि:- उप महानिरीक्षक पुलिस, कार्मिक, राजस्थान, जयपुर को महानिदेशक पुलिस महोदय से हुई चर्चा के अनुसार सादर अवलोकनार्थ प्रस्तुत है।

प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. महानिदेशक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर।
2. महानिदेशक पुलिस, एटीएस एवं एसओजी/प्रशासन, कानून एवं व्यवस्था, राज0 जयपुर।
3. समस्त अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, राजस्थान, जयपुर।
4. निदेशक, राजस्थान पुलिस अकादमी, जयपुर।
5. पुलिस आयुक्त, जयपुर/जोधपुर।
6. समस्त महानिरीक्षक पुलिस, राजस्थान।
7. समस्त जिला पुलिस अधीक्षक, राजस्थान मय जी.आर.पी. अजमेर/जोधपुर।
8. समस्त पुलिस उपायुक्त, जयपुर/जोधपुर।
9. उप महानिरीक्षक पुलिस, राजस्थान पुलिस प्रशिक्षण केन्द्र, जोधपुर।
10. पुलिस अधीक्षक, केन्द्रीय भण्डार, पुलिस मुख्यालय, राजस्थान, जयपुर।
11. उप निदेशक एवं प्राचार्य, राजस्थान पुलिस अकादमी, जयपुर।
12. प्रधानाचार्य, राजस्थान पुलिस प्रशिक्षण केन्द्र, जोधपुर/पी.टी.एस., किशनगढ़।
13. समस्त कमाण्डेंट, आर्म्ड बटालियन्स, राजस्थान।
14. कमाण्डेंट, पुलिस ट्रेनिंग स्कूल, जोधपुर/ खैरवाड़ा/ झालावाड़/ अलवर/ भरतपुर/बीकानेर/पीएमडीएस, बीकानेर/पीसीटीएस, जोधपुर।

५/५

महानिदेशक पुलिस,
प्रशिक्षण, राजस्थान, जयपुर।

कार्यालय अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस (प्रशिक्षण), राजस्थान, जयपुर

क्रमांक:- प.3(01)प्रशि/पॉलिसी/2022/3663

दिनांक:-28.03.2022

संशोधित आदेश

स्थायी आदेश संख्या-09/2017

स्थायी आदेश संख्या 09/2017 द्वारा रिक्लूट कानिस्टेबल (चालक) का बेसिक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम जारी किया गया था। उक्त पाठ्यक्रम में आउटडोर प्रशिक्षण में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है :-

1. प्रश्न पत्र-I (शारीरिक प्रशिक्षण) के लिए निर्धारित कुल कालांश 100 के स्थान पर 112 किये जाते हैं।
2. प्रश्न पत्र-II (ड्रिल) के लिए निर्धारित कुल कालांश 188 के स्थान पर 180 किये जाते हैं।
3. प्रश्न पत्र-III (हथियारों का ज्ञान एवं मस्केट्री) के लिए निर्धारित कुल कालांश 112 के स्थान पर 108 किये जाते हैं।
4. पाठ्यक्रम से .22 राईफल को हटाया जाता है।

प्रश्न पत्र	विषय	सब विषय	संशोधन	
			कालांश	अंक
प्रथम	शारीरिक प्रशिक्षण (पुरुष)	2. योगासन	08	05
		3. ग्राउण्ड वर्क-गद्दे पर प्रशिक्षण	08	05
		6. वॉक एवं रन 10 किमी. 45, 50, 55 (प्रत्येक शनिवार को)	32	10
		12. प्रत्येक माह के अंतिम शनिवार को रात्रि में 10 किमी. रूट मार्च करवाया जायेगा।		
	शारीरिक प्रशिक्षण (महिला)	2. योगासन	08	05
		3. ग्राउण्ड वर्क - गद्दे पर प्रशिक्षण	08	05
		6. वॉक एवं रन 06 किमी. 33, 38, 43 (प्रत्येक शनिवार को)	32	10
		12. प्रत्येक माह के अंतिम शनिवार को रात्रि में 10 किमी. रूट मार्च करवाया जायेगा।		
द्वितीय	ड्रिल	5. गार्ड ड्यूटीज	10	05
		11. बलवा परेड़, भीड़ नियंत्रण (अनियंत्रित भीड़ के समक्ष आत्म नियंत्रण, समझाईश के तरीके, पथराव पर संयम सहित नियंत्रण के तरीके और बलवा परेड़)	17	06
तृतीय	हथियारों का ज्ञान एवं मस्केट्री	2. 5.56 एमएम इन्सास	14	05
		3. राईफल 7.62 एसएलआर	14	05
		5. 9 एमएम कार्बाइन मशीन	06	02
		6. 12 बोर पम्प एक्शन गन	04	02
		7. एके 47 एवं एके 56 राईफल	10	03
		8. जी.एफ. राईफल एवं एच.ई. 36 ग्रेनेड	02	02
		11. फायरिंग व मस्केट्री	15	60
		14. एस्कॉर्टिंग (कैश, आर्म्स एवं एम्युनेशन)	02	02
		15. नाकाबन्दी	02	02

प्रशिक्षण के दौरान निम्नानुसार फायरिंग अभ्यास होगा

1. 12वें सप्ताह में 7.62 एमएम एस.एल.आर से 10 राउण्ड प्रेक्टिस फायर, 05 ग्रुपिंग एवं 05 एप्लीकेशन, टारगेट 4'X4' रेंज 100 गज, पोजीशन लेटकर।
2. 18वें सप्ताह में 15 राउण्ड 7.62 एस.एल.आर. राईफल से 05 ग्रुपिंग, 05 एप्लीकेशन एवं 05 स्नेप शूटिंग प्रेक्टिस तथा 15 राउण्ड 5.56 एमएम इन्सास राईफल से 05 ग्रुपिंग, 05 एप्लीकेशन एवं 05 स्नेप शूटिंग। टारगेट 4'X4' रेंज 100 गज।

अन्तिम परीक्षा फायरिंग

1.	5.56 एमएम इन्सास 05 राउण्ड ग्रुपिंग, रेंज 100 गज, टारगेट 4'X4', अंक-10 (पोजीशन लेटकर) 05 राउण्ड एप्लीकेशन, रेंज 100 गज, टारगेट 4'X4', अंक-10 (नीलिंग पोजीशन) 05 राउण्ड स्नेप शूटिंग, रेंज 100 गज, टारगेट 4'X4', अंक-10 (स्टेण्डिंग पोजीशन)	15 राउण्ड	30 अंक
2.	7.62 एमएम एस.एल.आर. 05 राउण्ड ग्रुपिंग, रेंज 100 गज, टारगेट 4'X4', अंक-10 (पोजीशन लेटकर) 05 राउण्ड एप्लीकेशन, रेंज 100 गज, टारगेट 4'X4', अंक-10 (नीलिंग पोजीशन) 05 राउण्ड स्नेप शूटिंग, रेंज 100 गज, टारगेट 4'X4', अंक-10 (स्टेण्डिंग पोजीशन)	15 राउण्ड	30 अंक
कुल अंक			60 अंक

शेष पाठ्यक्रम यथावत् रहेगा। यह आदेश महानिदेशक पुलिस, राजस्थान द्वारा अनुमोदित है।

(सचिन मित्तल)

अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस,
प्रशिक्षण, राजस्थान, जयपुर।

प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. महानिदेशक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर।
2. महानिदेशक पुलिस, आसूचना, राजस्थान, जयपुर।
3. समस्त अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, राजस्थान, जयपुर।
4. निदेशक, राजस्थान पुलिस अकादमी, जयपुर।
5. पुलिस आयुक्त, जयपुर/जोधपुर।
6. समस्त रेंज महानिरीक्षक पुलिस, राजस्थान।
7. उप महानिरीक्षक पुलिस, राजस्थान पुलिस प्रशिक्षण केन्द्र, जोधपुर।
8. समस्त जिला पुलिस अधीक्षक, राजस्थान मय जीआरपी, अजमेर/जोधपुर।
9. समस्त पुलिस उपायुक्त, जयपुर/जोधपुर।
10. प्रधानाचार्य, राजस्थान पुलिस प्रशिक्षण केन्द्र, किशनगढ़।
11. समस्त कमाण्डेंट, आर्म्ड बटालियन्स।
12. कमाण्डेंट, पुलिस ट्रेनिंग स्कूल, जोधपुर/खैरवाड़ा/झालावाड़/अलवर/भरतपुर/बीकानेर/पीएमडीएस, बीकानेर/पीसीटीएस, जोधपुर।
13. निदेशक, इण्टेलीजेन्स ट्रेनिंग अकादमी, जयपुर।

अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस,
प्रशिक्षण, राजस्थान, जयपुर।